राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

ई मेलः—mrh.sap@gmail.com

क्रमांक 42

दिनांक 04.04.2018

खुली निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों के लिये निम्न सेवाओं के लिये फर्म/ऐजेन्सी/कंपनी से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैः—

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	अमानत राशि	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम दिनांक	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	2/2018–19	क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट	एक वर्ष	300000	6000	19.04.2018 5 PM	20.04.2018 12 PM	20.04.2018 3 PM

निविदा प्रपत्र 200/— नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 19.04.2018 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp. rajasthan.gov..in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोटः—1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट sppp .rajasthan.gov.inएवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र का भुगतान निविदाये जमा कराते समय डी.डी. के साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रदद कर दिया जायेगा।

अधीक्षक

क्रमांक 43-49

दिनांकः—04.04.2018

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव,निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड, निदेशालय विशेष योग्यजन/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड
6. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट sje. Rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।

अधीक्षक

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेलः–**mrh.sap@gmail.com**

परिशिष्ठ 'अ'

निविदा प्रपत्र

1. विषय :– क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट की सेवायें देने बाबत् निविदा प्रपत्र।
2. निविदा करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता ....
3. निविदा फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नं.......................................
4. निविदादाता का ई–मेल पता
5. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक 02/2018–19 दिनांक 04.04.2018
6. निविदा शुल्क की राशि ....अक्षरे..........................(रसीद संख्या) डीडी/बैंकर्स चेक नं..................दिनांक.............के द्वारा जमा करवा दी गयी है।
7. निविदा सूचना संख्या 02/2018–19 दिनांक 04.04.2018 जो कि अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जामड़ोली, जयपुर द्वारा जारी की गयी है, में वर्णित सभी शर्तो की पालना करने के लिये हम सहमत है तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीकस्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
8. क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट का कार्य का जो ठेका दिया जाना है, उसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उसी आधार पर दरें दी जा रही है।
9. कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि में कार्य करना शुरू कर दिया जायेगा।
10. आवासियों के लिये क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट की सेवायें देने बाबत हमारी फर्म/संवेदक की दर निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	व्यवसायिक विशेषज्ञों	विजिट	योग्यतायें	दर प्रति विशेषज्ञ प्रति विजिट	अन्य कर यदि कोई हो	सर्विस चार्ज	कुल योग प्रति विशेषज्ञ प्रति विजिट
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
1	क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट (Clinical Psycologist)	2 घंटे	मनोविज्ञान में एम.ए. /एम.फिल/पी.एच.ड़ी एवं भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I.) से रजिस्टर्ड (Mental Retardation)				अंको में......... शब्दों में..........

11. ठेके की एक वर्ष की अवधि में कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह पर उन्हीं दरों पर बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनों की सहमति से 6 माह की अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।

12. बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) रू. 6000/– अक्षरे रू. छः हजार मात्र के पेटे बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/डीडी संख्या/चालान संख्या..........................दिनांक................................को जमा करा दी गयी है।

13. आयकर स्थायी पता

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेलः–**mrh.sap@gmail.com**

क्रमांक

दिनांक

निविदा आमंत्रण सूचना– 02/2018–19

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित विमंदित बालक एवं महिलाओं के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न कार्यो/आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शत्रे आदि इस कार्यालय में निध्ररित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 19.04.2018 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) के बिना जमा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट	300000	200 रू.	6000

भरी हुई निविदायें दिनांक 20.04.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदायें दिनांक 20.04.2018 को समय 3.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगां।

अधीक्षक

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणीः— निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिये।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए।
2. **निविदा हेतु योग्यताः—** निविदा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी,या संस्था द्वारा भरी जा सकती है। फर्म आदि के गठन में किसी भी परिर्वतन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से,फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
3. ऐजेन्सी/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
4. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट की विजिट संख्या प्रतिमाह अधिकतम 20 होगी। किसी भी परिस्थिति में 20 से अधिक विजिट एक माह में स्वीकार्य नहीं होगी।
5. फर्म को आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन कार्ड) की प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। श्रम विभाग के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति तथा जीएसटी का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन नही होने पर निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदादाता द्वारा दरें मय छूट उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। शब्दों एवं अंकों में अंकित दर में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दर को अधिकृत मानकर गणना में शामिल किया जायेगा। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा।
7. मोहर बंद निविदा क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट हेतु राशि 6000/— (अक्षरे रू. छः हजार रूपये मात्र) दिनांक 20.04.2018 को 12:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 20.04.2018 को 3:00 बजे खोली जावेगी ।
8. **विधि मान्यता** : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
9. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या उप भाड़े (सबलैट) पर नहीं देगा।
10. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
11. असफल निविदादाताओ को बयाना राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।
12. बयाना राशि का समपहरणः— बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि को एक माह में (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस समपहत कर लिया जायेगी।

    i.जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

    ii.जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

    iii.जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

    iv.जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हा।

v.यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारर्शिता अधिनियम और नियमों के अध्याय –6 में विर्निदिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्य निष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

13. करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना (अर्नेस्ट) राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः–

(क) डीडी/बैक ड्रापट /बैकर्स चैक/चालान की रसीद प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

14. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगा :–

I जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

15. ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने/अनुपस्थित रहने पर निविदादाता की जोखिम पर स्थानीय बाजार से कार्य करवाया जा सकेगा तथा अधिक व्यय की राशि निविदादाता के बिलों/प्रतिभूति राशि से वसूल किया जावेगा। साथ ही उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

16. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा को रदद करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

17. ठेके की एक वर्ष की अवधि में कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह पर उन्हीं दरों पर बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिये संवेदक बाध्य होाग। 6 माह की अवधि के बाद दोनों की सहमति से 6 माह की अवधि और बढायी जा सकेगी।

18. सरकार द्वारा विहित सेवा कर एवं अन्य सभी कर देय होने पर, आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे।

19. **भुगतानः**–भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

20. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी

शर्तो को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21. क्रय समिति किसी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः—

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रमाण्ति प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

24. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

25. फर्म/संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को पारिश्रमिक का भुगतान निविदा में अंकित राशि का करना होगा। निविदादाता स्वयं की सेवाओं को सर्विस चार्जेज के रूप में पृथक से दर्शायेगा।

26. प्रभावी होने पर न्यूनतम मजदूरी/पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/संवेदक की होगी। तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

27. क्लिनिकल साइक्लोजिस्ट की की उपस्थिति कार्यालय के प्रभारी/कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व क्लिनिकल साइक्लोजिस्ट निवास स्थान/स्थायी पते का पूर्ण विवरण (आई.डी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विमंदित गृह में उपलब्ध कराये जाने वाले क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट का एक माह में पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाना होगा।

28. अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट द्वारा विजट पर नहीं आने पर 300/— प्रति विशेषज्ञ प्रति विजिट की कटौती एक बार में की जावेगी।

29. क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अधीक्षक के आदेश पर क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट को बदलने होगें।

30. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द किये जाने का अधिकार समिति को होगा।

31. संस्था/ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवायें जाने वाले क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट की संख्या एवं योग्यता निम्नानुसार होगी।

क्र. सं.	क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट	अनुमानित संख्या	विजिट	योग्यतायें	अनुभव
2.	क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट (Clinical Psychologist)	2	2 घंटे	मनोविज्ञान में एम.ए./एम.फिल/पी.एच.ड़ी एवं भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I.) से रजिस्टर्ड (Mental Retardation)	दो वर्ष (फर्म एवं क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट को न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है)

नोट :— संबंधित फर्म को न्यूनतम दो वर्ष राजकीय संस्थान में कार्य अनुभव आवश्यक है।

32. क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट आवासीय बालक/बालिकाओं का आई.क्यू. टेस्ट संबंधित समस्त कार्य व व्यवहार सुधार कार्यक्रम इत्यादि मनोचिकित्सक की देख रेख व निर्देशानुसार किया जाना होगा।

33. समस्त क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट को कार्यालय समय में ही आना होगा। यह समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे के बीच में होगा।

34. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये क्लिनिकल साईक्लोजिस्ट की विजिट संख्या प्रतिमाह अधिकतम .... होगी।

35. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले क्लिनिकल साइक्लोजिस्ट अपराधिक/नैतिक पतन के दोषी नहीं होने चाहिए।

36. असफल निविदादाताओं को अमानत राशि एक माह में (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) लिखित आवेदन पर वापस कर दी जावेगी।

37. निविदादाता फर्म को संबंधित क्षेत्र में गत 1 वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 7.5 लाख रूपये होना अनिवार्य है। इसके प्रमाण स्वरूप चार्टेड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र (जिसमें राशि का उल्लेख हो) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

38. निविदादाता द्वारा फर्म आदि के गठन के किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबंधित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्त्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा। जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

39. निविदा के साथ वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

40. प्राप्त निविदाए मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, केम्बे गोल्फ होटल के सामने, जामड़ोली, आगरा रोड़, जयपुर मे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जावेगी।

41. निविदा में निविदा का/ अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाईल नं. तथा इमेल एड्रेस दिया जाना आवश्यक होगा।

42. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ट पर अपनी सहमति के रूप में हस्ताक्षर करने आवश्यक होगे।

49. परिवहन भत्ता/आने जाने का खर्चा कार्यालय द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कार्य संबंधी शर्ते, मैने/हमने पढ़ ली है, और यह शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

परिशिष्ठ–द

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मामलों सामानों/उपकरणों /सेवाओं के लिये निविदा दी है उनका/उनके/ मै बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ सोल विक्रय विपणन एजेण्ट/ व्यवसायी हूँ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता